भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4120
दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान

†4120. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के अंतर्गत वर्ष 2047 तक भारत को मादक पदार्थ मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को नियंत्रित करने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एनसीबी के नए क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालय खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कुल कितने लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोषसिद्ध किया गया है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क), (ख) और (ङ) भारत को मादक पदार्थ मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण और बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(iv) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

(vi) सभी बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की पहचान के लिए कन्साइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है।

(vii) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(viii) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी में मदद करने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को

रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली और नोड्स को निरंतर कैप्चर करने और डाटाबेस का नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

(ix) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को मजबूत करने और इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एनसीबी में विभिन्न स्तरों पर 536 पद सृजित किए गए हैं। इस पुनर्गठन के दौरान और अधिक प्रभावी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के लिए साइबर, विधिक और प्रवर्तन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(x) नार-के9 पूल की स्थापना जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, इम्फाल, मुंबई और गुवाहाटी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई है।

(xi) जांच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था के लिए सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों की सहायता के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों के अपराधों में शामिल नार्को-अपराधियों का डेटा प्रदान करता है।

(xii) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन सं.1933 "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(xiii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों में विद्यमान फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(xiv) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) का गठन किया गया है।

(xv) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है तथा समुद्री मार्ग से तस्करी संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(ग): अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में 04 क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल करके, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 03 से बढ़ाकर 07 कर दी गई है। गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल), अगरतला (त्रिपुरा), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में 05 नए मंडल (जोनल) कार्यालयों को शामिल करके तथा 12 मौजूदा उप-मंडलों को मंडलों के रूप में स्तरोन्नत करके देशभर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मंडल कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है।

(घ): वर्ष 2022 से 2024 और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2025 तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (जनवरी)**
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	768	574	588	43

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान और जनवरी, 2025 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (जनवरी)**
दोषसिद्ध व्यक्ति	54	104	110	-

******